संख्या-21/2022/3755/26-3-2021

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं
प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 23 मार्च 2022

विषयः- छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाली भोजन व्यवस्था हेतु मेस की दर में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-377/भा0भ0/2021-22, दिनांक-28.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें छात्रों की भोजन व्यवस्था हेतु मंहगाई के परिप्रेक्ष्य में छात्रों के लिये गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था हेतु वर्तमान दर रू0-75/- प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थियों को बढ़ाकर रू0-114/- प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं में निवासरत बच्चों के भरण-पोषण की दरों की भांति महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-2164/ 60-1-15-1/13(103)/03, दिनांक-31.12.2015 के आलोक में छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन गोमतीनगर, लखनऊ में छात्रों के लिये संचालित भोजन व्यवस्था हेतु वर्तमान में दर रू0-75/-प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी से बढ़ाकर रू0-114/-प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था एवं योजना की गाईड लाइन के अनुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

3- शासनादेश संख्या-1173/26-3-2013-4(69)/97, दिनांक-13.09.2013 उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-21/2022/3755(1)/26-3-2021-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4

5-गार्ड।

रजनीश चन्द्र

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।